

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या - 105/2022

निर्णय दिनांक :- 12.4.2022

## उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गोवर्धन पुत्र भूराराम जाति रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. दुर्गालाल पुत्र लादूलाल जाति रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. बंशी पुत्र रामा जाति रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. बीरमा पुत्र रामा जाति रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. रामस्वरूप पुत्र भूराराम जाति रेगर निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्रार्थी पक्ष—

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

—अप्रार्थी पक्ष—


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 989 खसरा नम्बर 1794 रकबा 0.11 है0 ग्राम पनवाड तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में अंकित आराजी खाता संख्या 989 खसरा नम्बर 1794 रकबा 0.11 है0 ग्राम पनवाड की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल की जाती है

  
(भारत भूषण गोयल)  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली